




राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, मिड-डे-मील कार्यक्रम
नवजीवन सहकारी बाजार (उपहार), प्रथम तल,
भवानी सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001
ई-मेल:- rajmdm@rediffmail.com



क्रमांक:एफ.4(220)प्रा.शि./एमडीएम/दिशा-निर्देश/2022-23/818

दिनांक : 15/11/2022

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,
जिला-समस्त।


विषय :-भोजन पकाने की लागत (कुकिंग कन्वर्जन) में वृद्धि किये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशक (पी.एम.पोषण) स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 1-3/2021-DESK(MDM)-Part(2) Dated 07th October, 2022 द्वारा भोजन पकाने की लागत (कुकिंग कन्वर्जन) में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:-

क्र. सं.	स्तर	पूर्व की दर (प्रति छात्र प्रति दिन)	संशोधित दर (प्रति छात्र प्रति दिन)
1.	बाल वाटिका/प्राथमिक	4.97	5.45
2.	उच्च प्राथमिक	7.45	8.17

अतः आप उपरोक्तानुसार संशोधित दरों के अनुसार भोजन पकाने की लागत (कुकिंग कन्वर्जन) मद में संबंधित संस्थानों/विद्यालयों को जारी करने का श्रम करें। संशोधित दरें 01.10.2022 से प्रभावी होंगी।

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102205852 दिनांक 09.11.2022 की सहमति से जारी किये जाते हैं।



(डॉ० मोहन लाल यादव)
आयुक्त
मिड-डे-मील

क्रमांक:एफ.4(220)प्रा.शि./एमडीएम/दिशा-निर्देश/2022-23/818

दिनांक : 15/11/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर, जिला-समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त आयुक्त
मिड-डे-मील